रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20082021-229168
SG-DL-E-20082021-229168

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2021/श्रावण 27, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 138
No. 237]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2021/SRAVANA 27, 1943	[N. C. T. D. No. 138

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा विभाग

भर्ती एवं पदोन्नति इकाई (आरपीयू)

अधिसूचना

दिल्ली, 17 अगस्त, 2021

सं.फा. 1(20)/96/एससीईआरटी/शिक्षा/पार्ट फा०/578–87.—राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी), दिल्ली नियमावली के नियम 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शिक्षा विभाग का स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में निदेशक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को निदेशक (एससीईआरटी), दिल्ली भर्ती नियमावली, 2021 कहा जायेगा।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि उपराज्यपाल, दिल्ली संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकता है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां यदि उपराज्यपाल, दिल्ली का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकता है।

6. **बचाव**ः–इन नियमों के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये प्रदान किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

शिंगारे रामचन्द्र महादेव, उप सचिव (शिक्षा)

अनुसूची

शिक्षा–विभाग में निदेशक (एससीईआरटी) के पद हेतु भर्ती नियम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

1.	**पदनाम**	:	**निदेशक (एससीईआरटी)**
2.	**पदों की संख्या**	:	01* (2021) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	ग्रुप ''क''
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	स्तर – 14 (सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) + 10,000/– का विशेष भत्ता (पूर्व संशोधित) 37,400–67,000 रुपये (पीबी–4) ग्रेड पे 10,000/–रुपये + 10,000/–रुपये के वि"ाेष भत्ते के साथ।
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	लागू नहीं

10.	**भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) निदेशक, एससीईआरटी के पद हेतु नियुक्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा की जाएगी।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है**	:	**<u>प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) :</u>** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों/केंद्र–शासित प्रदेशों/स्वायत्त संगठनों/विश्वविद्यालयों के अधिकारी। (क) मूल संवर्ग/विभाग में 37,400–67000 रुपये (पीबी–4) ग्रेड पे 10,000/–रुपये पर नियमित आधार पर समरूप पदधारी, **(ख) अनिवार्य योग्यता** : 1. पीएच.डी; तथा 2. उत्तरदायी प्रशासनिक क्षमता में 5 वर्षों के अनुभव सहित राज्य अथवा केंद्रीय विश्वविद्यालयों या राज्य अथवा केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों से प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का 10 वर्षों का अनुभव। **वांछनीय योग्यताएं :** 1. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में उपाधि। 2. शिक्षा में स्नातकोत्तर अथवा पीएच.डी की उपाधि। 3. प्रभावी शैक्षणिक प्रतिष्ठा तथा इस क्षेत्र या शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में अनुभव। 4. पत्रिकाओं में प्रकाशन, विशेषतः ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक पत्रिकाएं, तथा 5. विद्यालय शिक्षा के विभिन्न पहलूओं पर अनुसंधान के संचालन के संदर्भ में व्यापक हितों के अतिरिक्त प्रशासनिक, संगठनात्मक एवं नेतृत्व क्षमताएं। **टिपण्णी** : केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/केंद्र–शासित प्रदेशों/स्वायत्त संगठनों/विश्वविद्यालयों के उसी या कुछ अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्ववर्ती किसी अन्य बाह्य–संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, जो सामान्यतः पाँच वर्षों अथवा उम्मीदवार की आयु 60 वर्ष होने तक या जो भी इसमें पहले हो, से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	खोज–सह–चयन समिति : – 1. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा) **–अध्यक्ष** 2. निदेशक (शिक्षा) **–सदस्य** 3. प्रधान सचिव/सचिव (सेवा विभाग) नामित **–सदस्य** 4. निदेशक (एनसीईआरटी) नामित **–सदस्य** 5. निदेशक (एनयूईपीए) नामित **–सदस्य** 6. अध्यक्ष (एनसीटीई) नामित **–सदस्य**
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

EDUCATION DEPARTMENT

[Recruitment and Promotion Unit (RPU)]

NOTIFICATION

Delhi, the 17th August, 2021

No. F. 1(20)/96/SCERT/EDU/Pt.file/578-87.—In exercise of the powers conferred by Rule 15 of Rules of the State Council of Educational Research and Training (SCERT), Delhi, the Lieutenant Governor in the National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the SCERT, an autonomous organisation of Education Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. **Short title and commencement** -

   (i) These rules may be called the Director (SCERT), Delhi Recruitment Rules 2021.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, its classification and pay level in the pay matrix:-** The number of said post, its classification and pay scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.:-** The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in the Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**:**-** No person,

   (a) Who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to any of the said posts.

   Provided that Lt. Governor, Delhi, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds of doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax:-** Where the Lt. Governor, Delhi is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provision of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

SHINGARE RAMCHANDRA MAHADEV, Dy. Secy. (Education)

ANNEXURE-I

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR (SCERT) IN THE EDUCATION DEPARTMENT,

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

SCHEDULE

NAME OF THE POST.	NO. OF THE POST.	CLASSIFICATION.	LEVEL IN PAY MATRIX.	WHETHER SELECTION POST OR NON-SELECTION POST.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.	EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATIONS REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DIRECTOR (SCERT).	01* (2021) * (SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT UPON WORKLOAD)	GROUP-A.	LEVEL-14 (AS PER 7TH CPC) + RS. 10,000/- SPECIAL ALLOWANCE (PRE REVISED) RS. 37,400-67000 (PB-4) WITH GRADE PAY RS.10,000/- + RS.10,000/- SPECIAL ALLOWANCE.	NOT APPLICABLE.	NOT APPLICABLE.	NOT APPLICABLE.

WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN CASE OF PROMOTES.	PERIOD OF PROBATION, IF ANY.	METHOD OF RECRUITMENT: WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEPUTATION GRADES FROM WHICH PROMOTION/DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE.	IF DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
NOT APPLICABLE.	NOT APPLICABLE.	BY DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT). THE APPOINTMENT FOR THE POST OF DIRECTOR, SCERT SHALL BE MADE BY GOVERNMENT OF NCT OF DELHI.	OFFICER OF THE CENTRAL GOVERNMENT OR STATE GOVT./U.T./AUTONOMOUS ORGANIZATIONS/UNIVERSITIES. **A.** HOLDING ANALOGOUS POSTS ON REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT IN THE PAY SCALE OF RS. 37400-67000/- (PB-4) WITH GRADE PAY OF RS. 10000/-. **B. ESSENTIAL QUALIFICATION:-** 1. PH.D; AND 2. 10 YEARS EXPERIENCE OF WORKING AS PROFESSOR IN THE STATE OR CENTRAL UNIVERSITIES OR EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF STATE OR CENTRAL GOVERNMENT, INCLUDING 5 YEARS EXPERIENCE IN RESPONSIBLE ADMINISTRATIVE CAPACITY. **DESIRABLE QUALIFICATIONS:-** 1. FIRST CLASS DEGREE AT THE LEVEL OF	THE SEARCH-CUM-SELECTION COMMITTEE SHALL CONSISTS OF :- 1. PR. SECRETARY/ SECRETARY (EDUCATION)- **CHAIRPERSON**. 2. DIRECTOR (EDUCATION)- **MEMBER**. 3. NOMINEE OF PR. SECRETARY/ SECRETARY (SERVICES DEPARTMENT)- **MEMBER**.	NOT APPLICABLE.

			POST GRADUATION. 2. MASTER'S OR PH. D DEGREE IN EDUCATION. 3. IMPRESSIVE ACADEMIC CREDENTIALS AND EXPERIENCE IN THE FIELD OR EDUCATION RESEARCH AND TRAINING. 4. PUBLICATIONS IN JOURNALS, ESPECIALLY JOURNALS OF EDUCATION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL REPUTE, AND 5. ADMINISTRATIVE, ORGANIZATIONAL AND LEADERSHIP CAPABILITIES BESIDES WIDE RANGING INTEREST IN REGARD TO CONDUCT OF RESEARCH ON DIFFERENT ASPECTS OF SCHOOL EDUCATION. **NOTE:** THE PERIOD OF DEPUTATION INCLUDING THE PERIOD OF DEPUTATION IN ANOTHER EX-CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANIZATION/DEPARTMENT OF CENTRAL GOVT./STATE GOVT./ U.T./ AUTONOMOUS ORGANIZATION/ UNIVERSITIES SHALL ORDINARILY NOT EXCEED **FIVE** YEARS OR UPTO THE AGE OF 60 YEARS OF THE CANDIDATE, WHICHEVER IS EARLIER. THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION (ISTC) SHALL BE NOT EXCEEDING 58 YEARS AS ON CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATION.	4. NOMINEE OF DIRECTOR (NCERT)- **MEMBER**. 5. NOMINEE OF DIRECTOR, (NUEPA)- **MEMBER**. 6. NOMINEE OF CHAIRPERSON, (NCTE)- **MEMBER**.	

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.08.20 12:38:18 +05'30'